न्यायालय प्रथम अपील अधिकारी एंव जिला कलेक्टर ,टोंक

प्रकरण संख्या 18/2026

श्री सुरेश चन्द्र शर्मा पुत्र श्री श्रीनारायण शर्मा निवासी ग्राम ढोला का खेडा तहसील मालपुरा जिला टोंक ——अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार मालपुरा —— प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय **दिनांक 09.04.2026**

प्रकरण का संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत अपील पेश की है। अपीलार्थी द्वारा लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार मालपुरा जिला टोंक को आवेदन पत्र दिनांक 01.01.2026 को प्रेषित/प्रस्तुत कर निम्न वर्णित सूचना चाही गईः—

1. ग्राम ढोला का खेड़ा, तहसील मालपुरा, जिला टोंक स्थित चरागाह/ सरकारी/ सिवायचक भूमि के संबंध में अब तक जारी किए गए समस्त नोटिसों, की गई कार्यवाही, एवं वसूल की गई पेनल्टी राशि का विवरण उपलब्ध कराया जाए तथा जमा की गई पेनल्टी राशि की रसीदों (Receipts) की प्रमाणित प्रतिलिपियाँ उपलब्ध कराई जाएँ।

2. ग्राम ढोला का खेड़ा. तहसील मालपुरा, जिला टोंक में स्थित सिवायचक (सरकारी) भूमि पर श्री राम किशोर एवं श्री रामजस शर्मा द्वारा वर्तमान में जिन—जिन खसरा संख्याओं पर कब्जा कर काश्त की जा रही है. उनका खसरा नंबर—वार पूर्ण विवरण उपलब्ध कराया जाए।

3. माननीय High Court के आदेश दिनांक 03.01.2022 के अनुपालन में ग्राम ढोला का खेड़ा. तहसील मालपुरा, जिला टोक स्थित चरागाह सरकारी/सिवायचक भूमि पर अतिक्रमण के संबंध में की गई कार्यवाही की प्रमाणित प्रतिलिपि उपलब्ध कराई जाए।

4. ग्राम ढोला का खेड़ा स्थित आदेश में वर्णित चरागाह भूमि/आम रास्ता के संबंध में यदि कोई स्थल निरीक्षण, पंचनामा अथवा रिपोर्ट तैयार की गई हो. तो उसकी प्रमाणित प्रतिलिपि उपलब्ध कराई जाए।

5. श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय को खान के जल को सिंचाई हेतु चालू करने बाबत दिए गए प्रार्थना—पत्र दिनांक 31.12.2025 की प्रमाणित प्रतिलिपि उपलब्ध कराई जाए।

6. श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय को खान के जल को सिंचाई हेतु चालू करने बाबत दिए गए प्रार्थना—पत्र दिनांक 31.12.2025 पर की गई कार्यवाही के संबंध में यदि कोई जांच/निरीक्षण/आदेश पारित किया गया हो अथवा कोई कार्रवाई रिपोर्ट प्राप्त हुई हो. तो उसकी सत्यापित प्रतिलिपि उपलब्ध कराई जाए।

अपीलार्थी को निर्धारित समयावधि में सूचना उपलब्ध नहीं होने पर प्रत्यर्थी के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई है। अपील दर्ज रजिस्टर कर अपील प्रा0पत्र की छायाप्रति लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार मालपुरा को पत्र कमांक 273 दिनांक 10.02.2026, 378 दिनांक 24.02.2026, 510 दिनांक 13.03.2026, 599 दिनांक 25.03. 2026 व 660 दिनांक 02.04.2026 को प्रेषित कर रिपोर्ट तलब की गई। अपीलार्थी को

821

जिला कलेक्टर
टोंक

सुनवाई हेतु तलब किया गया। अपीलान्ट उपस्थित नही हुए। लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार मालपुरा ने आज दिनांक तक कोई जवाब प्रेषित नही किया गया है। जिससे स्पष्ट है कि आवेदक को वांछित सूचना उपलब्ध नही करवाई गई। जबकि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में सूचना उपलब्ध कराने की अवंधि 30 दिवस निर्धारित की हुई है। अतः अपीलार्थी उनके द्वारा आवेदित सूचना प्राप्त करने का अधिकारी है।

फलतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार मालपुरा को निर्देशित किया जाता है कि वह अपीलार्थी को उनके द्वारा आवेदित सूचना/सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत दी जाने योग्य सूचना निर्णय की प्रति प्राप्ति से 20 दिवस में निःशुल्क उपलब्ध करावें। निर्णय की प्रति लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार मालपुरा तथा अपीलार्थी को प्रेषित की जावे।

(टीना डाबी)
प्रथम अपील अधिकारी
एंव जिला कलेक्टर टोंक

जिला कलक्टर
टोंक